

निवन्धन प्रार्थना-पत्र

उत्तर प्रदेश लकड़ारी समिति अधिनियम, 1965।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966 की धारा 8 की
उपरामा 11 से अधीन जारी किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रमाणित किया जाता है कि/हाटकिल्डरल को आपरेटिव
मार्केटिंग फेडरेशन लि. की लकड़ारी समिति के स्वयं में निर्दिष्ट
करने के लिए नियम, उद्योग सर्व बाध प्रबंस्करण मैदानी द्वा
उ. पु. , लखनऊ द्वारा अन्य द्वारा, उत्तर प्रदेश लकड़ारी समिति
अधिनियम, 1965। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966 की
धारा 6 के अधीन किया गया प्रार्थना-पत्र स्थीरूत किया
गया है और उक्त समिति इसके लिए प्रार्थना-पत्र के
ताथ प्रेरित उप-विधियों सहित, उक्त अधिनियम के अधीन,
उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित गतों और उक्त अधिनियम,
तदन्तागत बनी नियमाला और जारी किये गये तामान्य या
विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उप-विधियों के उपरच्चाहों
के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश की, शीर्षता समिति के स्वयं में
निर्वाचित की गयी है।

(१)

मुहर

निवन्धन

उत्तर प्रदेश ग्रामसंरचना (पौष्ट्रो)
कुर्स विवाहकार, ओजानिक लकड़ारी परिसिद्धि
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निवन्धन,
अधीनिक सहकारी समितियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य
बाटीकालकोगापरेटिव माकेटिंग फैडरेशन निपिटेंट की उपविधियाँ
(एच.सी.एम.एफ.)

1. नाम वं पता :- यह समिति बाटी कालकोगापरेटिव माकेटिंग फैडरेशन निपिटेंट की उपविधियाँ लखनऊ कही जायेगी। इसका पंजीकृत पता पत्रालंबलखनऊ, तहसील-लखनऊ, जनपद-लखनऊ होगा। पते में किसी प्रकार परिवर्तन उपविधियाँ में संशोधन करके लिया जायेगा।
2. परिभाषाएँ :- जिब तक की विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इन उपविधियों में :-
- 1क। गणितियम का तात्पर्य ऊ.प्र० सहकारी समितियों अधिनियम, 1965 अधिनियम सं०-।। सन 1966। होगा, जैसा कि ऊप्र० राज्य में प्रभावी था; और समय-समय पर संशोधित हुआ।
- 1ख। "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य फैडरेशन के प्रबन्धक समिति जो कि इन उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार गठित हुई, और निदेशक का तात्पर्य परिषद का सदस्य होगा।
- 1ग। सामग्री का तात्पर्य कच्चा या प्रसंस्कृत औषधानिक उत्पाद, पैक करने के पदार्थ, व अन्य भूम्भार स्वं उपकरण जितकी आवश्यकता औषधानिक उत्पाद उत्पादन तथा विपणन में पड़ती है।
- 1घ। गध्यध का तात्पर्य सुमिहि का वह सदस्य, जिसे अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार फैडरेशन के गध्यध के रूप में चुना जयवा नामित किया गया हो। वह फैडरेशन के विकास स्वं प्रगति के लिये उत्तरदायी होगा और उसे यह सुनिश्चित करना है, कि सुमिहि द्वारा लिये नियमों का प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य गपिशाती द्वारा क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जा रहा है।
- 1ङ। फैडरेशन का तात्पर्य प्रादेशिक कोगापरेटिव औषधानिक माकेटिंग फैडरेशन होगा।
- 1च। सामान्य बैठक का तात्पर्य सामान्य निकाय की बैठक होगा, जिसमें साधारण और विशेष सामान्य बैठक निहित है।
- 1ट। औषधानिक "उत्पाद" का तात्पर्य, औषधानिक परिवर्तनों पर्याप्ति, फूल, फूल, शाकभाजी आलू, गोबाला, इनके बीज तथा रोपण सामग्री इवं एवं सम्बन्धित उत्पाद वृक्ष औषधीय स्वं सुगंधित पौधे एवं उत्पाद गाढ़ि तथा इन खाद्यप्रसादकृत पदार्थों स्वं दैतिक उत्पाद एवं गध्यध में जारी संशोधित औषधानिक उत्पाद से है।

- ज. "विशेषज्ञ समूह" का तात्पर्य ऐसा कि उपचिपि सं०-३५ में दर्शित है, होगा ।
 द. "सदस्य संघ" का तात्पर्य गौणानिक संघ जिसका फ़ैलोवर्नर भैंगन है, होगा ।
 द्व. "सदस्य" का तात्पर्य उ०५ विधि संख्या -५ के अनुसार सदस्य से है ।
 चौ. पुष्टि न्यू लिटेशन का तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक ते है जो अधिनियम की धारा-३१ के अनुसार नियमानुसार किया गया है।
 छ. "गौणानिक संघ" का तात्पर्य उ०प्र० सहकारी समितियाँ अधिनियम-१९८५ के अपीन गौणानिक सहकारी संघ के रूप में पंजीकृत "एक" केन्द्रीय सहकारी संघ से है ।
 द. "निकट सम्बन्ध" का तात्पर्य, ऐसा सम्बन्ध जैसा कि "नियमों" में परिभाषित है ।
 ड. "कार्यक्रम समिति" का तात्पर्य उपचिपि सं०-३६ के अन्तर्गत नियम से है निबन्धक का तात्पर्य अधिनियम की धारा-३ मा अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों वाले आयुक्त या अन्य व्यवस्था के पदि कर्ड से है ।
 त. "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत बनाये गये विनियम से है।
 ख. "नियमों का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है होगा ।
 ध. "नियमों का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है होगा ।
 द. "वर्ष" का तात्पर्य सहकारिता उ०३० । अष्टते दश सार्व दर्जे को देता है ।
 इसका अर्थ एक वर्ष के लूप का अन्तिम दिन तक सहकारी संघ अभिव्यक्त है।
 द. "वर्ष" का तात्पर्य सहकारिता उ०३० । अष्टते दश सार्व दर्जे को देता है ।
 द. "सरकार" का तात्पर्य उत्तराधिकारी सरकार से है । नवीन शब्दावली के अभिव्यक्तियों में जिनका इन उपचिपियों में प्रयोग किया गया है, और उसमें नहीं परिभाषित किया गया है, किन्तु सहकारी समितियाँ अधिनियम-१९८५ में परिभाषित किया गया है, गौणानिक समितियाँ अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं, उनका वर्णन तात्पर्य होगा, जो कि उस अधिनियम और नियमों में है।
 ३. इसका अर्थ विधिवाली सम्पर्ण उत्तराधिकारी सरकार से होगा ।
 ४. फैलोवर्नर मूलभूत उद्देश्यः-

४. मुख्य उद्देश्य गौणानिक उत्पादों और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों का विपाक करना। क्रमांक-३,
 प्रकार्य करके गौणानिक कृषकों का ग्रामीण विकास करने हेतु श्रीपात्र क्लापा संचालन करना। क्रमांक-३,
 विधिवाली सम्पर्ण उत्तराधिकारी सरकार द्वारा गौणानिक कृषकों का ग्रामीण विकास करना। क्रमांक-३,
 विधिवाली सम्पर्ण उत्तराधिकारी सरकार द्वारा गौणानिक कृषकों का ग्रामीण विकास करना। क्रमांक-३,
 विधिवाली सम्पर्ण उत्तराधिकारी सरकार द्वारा गौणानिक कृषकों का ग्रामीण विकास करना। क्रमांक-३,
 विधिवाली सम्पर्ण उत्तराधिकारी सरकार द्वारा गौणानिक कृषकों का ग्रामीण विकास करना। क्रमांक-३,

प्रारंभिक उत्पादों तथा उरके प्रसंस्कृत उत्पादों के उत्पादन, उपलब्धि एवं
उपार्जन के उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाया गैर औषधानिक कृषकों का सम्बद्ध
औषधानिक संघों के माध्यम से आर्थिक विकास करना ।

गोड उद्देश्यः- विभाग और बिना पूर्णगृह के सामान्यतया द्वारगामी उद्देश्य
सामग्री या अन्य उत्पादों का सदस्यों से या अन्य श्रोतों से उपार्जन और कृष्ट
करना, सफल करना, निर्मित करना, वितरित करना और उसे बेचना और
इसके लिये औषधानिक संघों के लिये तंत्राप्ति त्यापित करना ।

पौधरधा सम्बन्धी सहायता तथा अन्य सम्बन्धित क्रिया क्लाप सुलभ करना,
ताकि फसल स्वास्थ्य की देख-रेख और केन्द्रीय निवेश से सम्बन्धित रोग नियन्त्रण
सुविधाओं से सुधार हो सके ।

सामग्री के प्रबन्ध, अनुसंधान, संस्थापना एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शालागांव
का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण गठित करना ।

अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रोत्साहन एवं कार्यक्रम संचालित करना ।

प्रोत्साहन के माध्यमसे प्रारम्भिक सहकारी समितियों के गठन की प्रोत्तिका के
नियम अनुसर रहना तथा उनके बीच सम्मान तथा सहयोग के तिरान्त एवं
व्यवहार का प्रचार करना तथा विभिन्न तौर से इस व्यवसाय के विषद में तकनीकी
ज्ञान कराना ।

सदस्य संघों को तकनीकी, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता
प्रदान करना और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त करार में प्रविष्ट करना ।
जब कहीं और जहाँ कहीं आवश्यक हो, सदस्य संघों को वये क्षेत्रों वा सर्वेक्षण
और औषधानिक उत्पादन की सम्मानना का पता लगाने में सहायता देना ।
सदस्य संघों को निर्माणाला एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल पर्यन करने वाले सहयोग
करना ।

प्रबन्ध के समस्त क्षेत्रों में व्यवसाय के संचालन पर्यवधान एवं सम्प्रेरण कार्यों में
सदस्य संघों का सलाह, पथ प्रदर्शन, सहायता प्रदान करना एवं नियंत्रण करना
समितियों के संग्रह, उच्छास, यातायात की व्यवस्था करना ।

ऐसी शर्तों जैसी कि परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित करें, औषधानिक सम्बद्ध
अन्य उत्पादों के विपणन हेतु गैर सदस्यों से लेन-देन करना ।

फैडरेशन द्वारा निर्धारित मानकों इत्यादि पर गुणवत्ता स्तर का निर्धारण
करना एवं उसे लागू करना ।

- 113। संघ ग्रन्तीकारी सदस्य संगठनों के व्यवसाय हेतु भवन क्रय करना पर्याप्तां मुमादान हेतु और अधिकारी सहजान्वयी उपकरण खरीदना । इन संगठनों से ऐसे फँड लेने हेतु स्वतंत्र हो और धूमनिष्ठा और सुन्दर सहकारी उत्पादों के उत्पादन , संरक्षण एवं विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के पारस्परिक संबन्धों का अध्ययन करना । क्रमांक:- 5.

114। अन्य संगठनों के साथ करना ।

115। सदस्य संघों एवं सम्बद्ध समितियों के उत्पादक सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाना ।

116। विपणन अनुसंधान संचालित करना ।

117। फैडरेशन तथा तदस्य संघों के सब प्रकार से लाभ के टूटिकोण से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना ।

118। फैडरेशन तथा तदस्य संघों के उत्पादन संरचना की योजना तथा संरक्षण की मात्रा बढ़ाने का कार्यक्रम और प्रभावी विपणन की व्यवस्था करना ।

119। औषधानिक एवं एलाइंड सहकारी उत्पादकों के यातायात तथा भूम्भारण की व्यवस्था करना । इन संघठनों के व्यवसाय की व्यवस्था के लिए उन्हें उत्पादन से लाभ के टूटिकोण से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना ।

120। फैडरेशन तथा तदस्य संघों के उत्पादक सदस्यों द्वारा गर्छी गुणवत्ता के पौध इत्यादि क्रय में सहायता करना । उत्पादन से लाभ के टूटिकोण से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना । इन संघठनों के व्यवसाय का हर प्रकार के खतरों से बचाव करना ।

121। सामग्री को घरीदाने के पौकिंग का सामान खरीदने आदि में ग्राम्यता करना और अकिसी को सहयोग से सामग्री को उत्पादन के यदि आवश्यक हो तो बढ़ाने के समस्त सदस्य संघों और समितियों के स्टाफ को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना । अमने व्यापारिक चिन्हों के अपील अध्यवा संपुक्त स्कल ब्राण्ड नाम । व्यापारिक नाम से उत्पादों को बाजार में जाना । अपने से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना ।

122। औषधानिक ग्रामीण सहकारी (जाइड) उत्पादों को नियर्ति करना ।

123। लक्ष्य निधारण, मूल्य निर्धारण, सार्वजनिक सम्बन्ध और सहकारी पदाधीर्म में सदस्य संघों को तलाहृदेनों व व्यापारों के विकास के लिए विकास करना ।

124। अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये द्रृष्ट से फँड स्थापित करना ।

125। अनुसंधान एवं विकास संगठनों की स्थापना करना जो अपने फँड में अभिदान हेतु विजितका स्वतंत्र उत्पादन हो और सदस्य संघठनों से ऐसे फँड लेने हेतु स्वतंत्र हो ।

126। औषधानिक संघों के प्रशासक के रूप में कार्य करना और यदि जैसा निवन्धुदारा विकास को बढ़ाव देने के लिए को लाभ खरीदने का विकास करना । क्रमांक:- 5.

127। विकास के लिये विविध वित्तीय समितियों का उत्पादन कार्यक्रम का विवरण देना ।

128। अपने कार्यालय विभिन्न वित्तीय समितियों का उत्पादन कार्यक्रम का विवरण देना ।

129। अपने कार्यालय विभिन्न वित्तीय समितियों का उत्पादन कार्यक्रम का विवरण ।

निपुणत किया गया हो, अथवा किसी औषाधिक संघों के इच्छन्य को उसमें अनुरोध पर हस्तगत करना।

फैडरेशन के व्यवस्था हेतु वल अथवा अचल सम्पत्ति का स्वामित्व लेना, रखना पद्दति, पर या किराये पर लेना तथा एदि व्यक्तिय हेतु भावशक न हो तो उसका निस्तारण करना।

सदस्य संघों या उनके सदस्यों के द्वारा अन्य नये उत्ताद ब्राने को प्रोत्साहन देना।

धिक्ट की योजना तैयार करना और प्रोत्साहित करना।

धिक्ट को प्रोत्साहन, स्वयं सहायता और सदस्यों के स्वयं पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन करना।

सदस्य संघों के सामान्य द्वितीयों के मामलों को हस्तगत करना।

फैडरेशन के उद्देश्यों एवं क्रिया कलापों के प्रचार का कार्य करना।

औषाधिक संघों और प्रारम्भिक औषाधिक सहकारी सन्ति तथों के सन्दर्भ में

धारा-123 के ग्रन्तर्गत सहकारी संघीय प्राप्तिकारी के स्वयं मान्यता प्राप्त होने पर उनके प्रभविक्षण और उनके लिये प्रभविक्षण जल्द निर्धारित करना तथा

संग्रह ऐसी दर पर जैसा कि निवन्धक द्वारा अनुमोदित हो।

सम्बद्ध तदस्य संघों का समयबद्ध प्रयोगिक वरना। किंतु तदस्य संघ के संचालन की संस्थानी गणिकार भी फैडरेशन का होगा।

अधिनियम, नियम तथा विनियमों के पूर्वांगन के लिये तदस्य संघ में दूसरे स्थान के लिये एक पूल या, अधिकारियों का एक नमूद बनाए रखना।

सामान्य नौर पर वह सब करना जो फैडरेशन के किंतु लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ती के लिये उचित या उत्तमी और प्रवृत्त करने काला हो।

फैडरेशन ही साधारण सदस्यता निम्नांकित हेतु होगी।

1- औषाधिक संघ जिला स्तर। इसके लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

2- राज्य सरकार। इसके लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

3- अन्य समितियों के सदस्य।

4- नाम भाष्र के सदस्य।

फैडरेशन को यह गणिकार होगा कि साधारण सदस्यों को उत्तरी अंश पूँजी जैसे

अधिकार दिया जाएगा। यह वह उत्तरी गणिकार के लिये क्रमशः-16 अंशों के लिये दिया जाएगा।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

प्रत्येक अंश के लिये वह अधिकारों के लिये वह लक्ष्य या उद्देश्य का।

उपानिषद्-५ के वाणीत सामान्य सदस्यों के गतिरक्त नाम मात्र होगी। नाम मात्र की सदस्यता किसी भी व्यक्ति के लिये जो, तें में सधम हो और फैडरेशन से व्यवसायिक सम्बन्ध रखता हो, या किसी का संघिदात्मक सम्बन्ध रखता हो, खुली होगी। नाम मात्र के सदस्य प्रवेश शुल्क के रूप में 100/- गटा करेंगे जो कि, वापस नहीं होगी। नाम मात्र के सदस्य को फैडरेशन के मामलों में मतदान का अधिकार नहीं होगा और नहीं फैडरेशन के लागे में आंश का दावा करने का अधिकार होगा। इन्हें प्रथम्य कमटी के नियम में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

171

फैडरेशन के किसी सदस्य को जो एक बार सम्बद्ध हो गया हो, को अपने को असम्बद्ध छोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता, सिवाय ऐसे कि अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत अनुसारित किया गया है, जब तक यह विनीनन हो जाय।

181

अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए और सुनवाई का गवर्नर दिये जाने के उपरान्त किसी सदस्य को निम्नांकित एक अथवा एक से अधिक बारनों से फैडरेशन की सदस्यता से हटाया अथवाबहिष्कृत किया जा सकता है, जिसका को प्रस्ताव निदेशक परिषद् की बैठकों में उपस्थिति और मतदान करने वाले निदेशकों के दो तिहाई बहुमत से लाभा गया हो।

191

किसी सदस्य को फैडरेशन सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि वह अधिनियम, नियमों और उपनियमों में प्राविधानित पावता गते पूरा न कर पा रहा हो, अथवा किसी अपात्रता से ग्रस्त हो गया हो।


201

उसे अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्राविधानों के विलम्ब फैडरेशन की सदस्यता हीकृती की गई हो। उपनियम सं०-३० अद्वितीय, निर्धारित गतों को पूर्ण करने में लगातार असफल रहा हो।

211

किसी सदस्य को फैडरेशन की सदस्यता से बहिष्कृत किया जा सकता है, यदि उसने फैडरेशन के अपनियमों के प्राविधानों को तोड़कर फैडरेशन के हितों को गाघात पहुँचाया हो, संघ को जान बूझकर धोखा दिया, और फैडरेशन की ख्याति को हानि पहुँचती हो। इन अपनियमों के किन्हीं प्राविधानों के अनुसारण में उसके द्वारा गई धीरणी में किसी ठोस सूचना का अग्राह पाया जाय और ऐसा झूठ या दवाव की बजह

क्रमशः - 7,



से सदस्य को फैडरेशन से नाजारा लाभ हुआ हो गया फैडरेशन को आधिक दानि या अन्य कठिनाइयों में डाल दिया हो ।

कोई सदस्य जो इस प्रकार हटाया या बहिष्कृत किया गया हो फैडरेशन का सदस्य उसी तिथि से नहीं रह जायेगा, जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है ।

191क। कोष की स्थापना निम्नांकित के द्वारा होगी :-

प्रवेश शुल्क

शेयर निर्गत

सदस्य द्वारा जमा

अंग एवं प्रति अंग पत्र से

अनुदान, सहायता और राहत

मैट व दान

प्रवेश शुल्क 100/- की दर से सभी नये सदस्यों द्वारा देय होगी ।

प्रवेश शुल्क न तो वावस होगी और नहीं हस्तान्तरणीय होगी ।

अंग की अधिकृत अंग पूँजी 10000/- के लिये होगी जो कि अंगों में विभक्त होगी और प्रत्येक गोप्यका मूल्य हिस्पातारी के लिये अंग की धनराशि आंशदान के अनुसार एक मुश्ता देय होगी ।

अंग के लिए आवेदन-पत्र लिखित होगा और निदेशक परिषद द्वारा निस्तारित किये जायेगे ।

अंशदानकिये गये अंग का प्रत्येक अंगों के लिये पृथक सं० से युक्त एक अंग प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा । सदस्य द्वारा पारित अंग प्रमाण-पत्र को छति पहुँचने पर या खो जाने की दशा में निदेशक मंडल द्वारा बढ़ते भैं लिखित अनुमोदन पर और क्षति पूर्ति बन्ध पत्र के विस्त्र निर्धारित शुल्क गटा करने पर द्वितीय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा ।

नियम-69 में उल्लिखित गतों के गलावा सदस्य द्वारा लिया गया अंग

से अस्तान्तरणीय होगा ।

प्रत्येक सदस्य कम से कम एक 1000 रु० का अंग ग्रहण करेगा ।

सिवाय अपनियम और नियमों के प्राविधानों के सदस्य द्वारा पारित शेयर को वापस या निवृत्त नहीं किया जासकेगा ।

राज्य सरकार द्वारा पारित अंगों को दोनों पारिषदों के बीच झकरार

करने की विधि विविध रूपों में विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

सदस्य द्वारा अपनी विविध विधियों के द्वारा विकसित की जायेगी ।

- नामों की शार्तों के अनुसार निवृत्त कर सकेगा।
 115। अधिनियम और नियमों के अनुसार वार्षिक बैठक में विधानित किये गये दायित्व के अधीन कोई द्वारा अनुमोदित शार्तों पर फैडरेशन जमा स्वीकर कर सकता है और इन ले सकता है।
- 116। फैडरेशन की सम्भालित स्वं कोष का उपयोग इसके प्रयोजनों तो कार्यान्वयन करने में किया जायेगा। कोष का कोई भाग जिसकी आवश्यकता न हो, अधिनियम की नियमों के अनुसार नियोजित किया जायेगा।
- उत्तरदायिक्य ॥** "सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिये गए वेपर के नाम मात्र मूल्य तक सीमित होगा।
- 12। प्रत्येक सदस्य :-
 1क। फैडरेशन द्वारा निर्धारित उपार्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएना।
 1ख। फैडरेशन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता स्वं स्तर के अनुसार ही उपार्जन, निर्णय इत्यादि कार्य सम्पादित करेगा।
 1ग। संघ के अधिकार खेत्र के बाहर विनियन का कार्य फैडरेशन के नियम से किया जायेगा।
- 13। अपने समस्त क्रिया-कलापों से संघ निदेशकों के अनुसार वार्षिक सों, योजनाओं अभियों और सूचनाओं में बदलाव जैसे कि :-
 1क। उपार्जन भिन्न-भिन्न ब्राण्ड/ट्रेडमार्क के अन्तर्गत एंकिंग, उत्पादन स्वं विनियन
 1ख। समितियों का गठन
 1ग। तकनीकी निवेश कार्यक्रम
 1घ। प्राप्ति-संकीय एवं प्रबन्धकीय पहलू
 1ङ। कीमत, गुणवत्ता का स्तर, और
 1अ। कुच्चे माल एवं एंकिंग पदार्थों को उपलब्ध करना।
 1इ। लेखा सदस्यों के उपर्युक्त तीसी छासी प्रकार के अन्य कर्तव्यों के द्वारा अतफल होने पर
 1ঁ। परिणामतः होने वाली धानि के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जायेगा, जैसा कि फैडरेशन की निदेशक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए।

क्रमांक:- 9,

राज्य समिति

- 118। फैडरेशन का सर्वोच्च प्राधिकार सामाज्य निकाय में निहित होगा, जिनमें निम्नाँकित शाखाएँ होंगी ।
- 1। क। साधारण सदस्य के स्थ में प्रत्येक सदस्य संघ से निवन्धुति एवं प्रतिनिधि ।
- 1। ख। फैडरेशन के समस्त नामित निटेशक, जिसमें निवन्धुत ग्रप्पवाँ उनका नामित व्यक्ति भी निम्नाँकित होगा ग्रादि राज्य सरकार द्वारा जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि माना जायेगा ।
- 1। ग। उपरोक्त अनुच्छेद - 8। क। में उल्लिखित प्रतिनिधि सदस्य संघ का अध्यक्ष होगा, जिसे कि नियम-407 से 432 ग्रप्पवाँ 444 के अनुसार अध्यक्ष के स्थ में चुना गया है, जैसी भी स्थिति हो और सदस्य संघ जिसका कि वह प्रतिनिधि है, के लिये नियमों और उपनियमों में निर्धारित किसी प्रकार की अपाव्रतात्मक ग्रस्त न हो ।
- 119। 1। क। वह व्यक्ति जो पहले से प्रतिनिधि है, इस स्थ में कार्य नहीं कर सकेगा यदि वह उपनियम-3। में उल्लिखित किसी अपाव्रता को रखता हो ।
- 12। उत्तर समिति जिसका कि वह प्रतिनिधि है, सदस्य न रह गया हो ।
- 13। जिस समिति का वह सदस्य/प्रतिनिधि है, वह संघ का सदस्य न रह गया हो ।
- 14। वह उत्तर समिति का सदस्य न रह गया हो जो किसी द्वारे "मामिति का सदस्य भी, जिसने उसे संघ में प्रतिनिधित्व देते अपने प्रतिनिधि के स्थ में चुना हो ।
- 15। उत्तर समिति का छोड़ दिया हो जिसके कारण, संघ के उपनियमों के अन्तर्गत वह प्रतिनिधि था ।
- 16। समिति जिसका वह प्रतिनिधि था अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत निर्देश हो गयी हो ।
- 17। समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो किसी गन्या सहकारी के समिति/समितियों में समावित हो गयी हो ।
- 18। वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है दो या दो से अधिक समितियों में विभाजित हो गयी हो ।
- 19। उसके प्रतिनिधि के स्थ में अपने कार्यालय से ल्पाग्र पत्र दे दिया हो ।

20-सामान्य निकाय की बैठक:- सामान्य निकाय की बैठक निम्न प्रकार से आयोजित की जायेगी :-

१३। ताधारण तामान्य बैठक:- निदेशक परिषद फेडरेशन के कार्य तम्यादन के लिए जब आवश्यक हो। तामान्य निकाय की बैठक अलायेगी।

१। अताधारण तामान्य बैठक:- निष्पत्ति केंद्रों अधिकार अधिवास संघ के सामान्य निकाय के कम से कम १/५ तटस्थीयों के लिखित अधिवासन पर प्रबन्ध कमेटी सकः माह के भीतर अताधारण तामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक बुलाने पर केंद्रों निष्पत्ति अधिवासन के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, ऐसे स्थान, तिथि अधिवास संघ पर जितका घट निर्देश दें, अताधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को सभी अधिकार होंगे और उन्हीं नियमों के अधीन होगी जो कि उपर्युक्तों के अनुसार बुलाई गई बैठक को हो किन्तु इन प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विधियों पर विवार होगा जिनका उल्लेख लिखित अधिवासन में किया गया हो।

१। ता. साधिक तामान्य बैठकः— प्रत्येक पर्ष साधिक विभागियों प्रस्तुति किये ज और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीर्घ किन्तु ता. दिसम्ब तथा नियम १० के अधीन निबन्ध द्वारा उदाहरणीय गयी व्यवस्थि के भीतर सांहे लेखा परीक्षण किया गया हो सा तरीं, केवल नियम प्रयोजनों के अनियन्त्रित साधिक तामान्य बैठक करेगा। प्रतिवर्त्य मह है कि कांकडे आडिट की स्वतन्त्रता होने पर तामान्य निकाय की बैठक ता. अस्ति के पहले हो जायेगी। अधिकारियम सी पाला ३२१२१ के अनियारों पर बिना प्रतिकूल प्रभास डाले हुए प्राच्य अमेरीका साधिक तामान्य बैठक की तिर्दि स्थान तथा तामान्य नियमित करेगी और बैठक के नोटिस के ताय सेवन्डा भी भेजेगी। इसी दौरान अधिकारियम द्वारा बैठक की विधि विभागियों को जारी करेगी। तामान्य बैठक की विधि विभागियों का निर्वहन करेगी; उदाहरणीय गत तामान्य निकाय की बैठक की सार्वाधीनी की प्रक्रिया करना।

प्राचीन पृथक्का समिति द्वारा आगामी पर्व के लिये तैयार किये गये फेड-
लों रेपेस के कार्यक्रमों पर कार्यक्रम का अनुसोदन।

१३। उपरिधि ३३ के उपबन्धों के अनुतार प्रबन्ध कमेटी के तदस्यों का निवाखन, यदि छोना हो ।

१४। वर्ष के रोकड़ पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षण पूरी हो गई हो-विवार ।

१५। वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षा पूर्ण हो गई हो तो नियम रीति से विवार ।

१६। यदि पूर्व वार्षिक अधिवेशन में व उनके गत वर्ष के रोकड़ - पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा न होने के कारण विवार न हो तो उन पर विवार ।

१७। नियमों में की गयी व्यवस्था के अधीन रहेते हुए आगामी वर्ष के लिये केडरेगम का अपिक्तम दायित्व निश्चित करना ।

१८। आगामी वर्ष के बजट पर विवार ।

१९। नई उपनियमों को अपनाना या प्रवलित उपनियमों में संगोष्ठीया भिन्नता करना ।

२०। त्वीकृत बजट से अधिक खर्चों पर त्वीकृति प्रदान करना ।

२१। अधिनियमों नियमों संघ उपनियमों के अनुतार गुद्दाम का निर्णय ।

२२। उपनियमों के अनुतार भारिषद द्वारा तंतुत सदस्य के नियन्त्रण की पुष्टि करना ।

२३। उपनियमों प्राविधानिकों के अन्तर्गत अभिव्यक्ति किसी अन्य मामले विवाद निटेंगक समिति द्वारा तंत्रान में लाए गए या अधिनियम, नियम और इति उपनियमों के अनुतार अध्यध्यक्ष की अनुमति ते लाये गये बिन्दुओं पर विवार करना ।

२४। अध्यध्यक्ष तहित समिति के तमत्त तदस्यों पर किये व्यय की समीक्षा करना ।

क। वाधिक बैठक के ये उक्त कार्य संबालन हेतु तामान्य निकाय की उपर्युक्त शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त और अपि नियम, नियम, और उपनियमों के अधीन निम्नलिखित अपि कार संस्थाय होंगे ।

या निदेशक परिषद के नियमों के विरुद्ध अपीलें, पटि कोई हो को तुमना ।

१। नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार निदेशांकों के अपने नियम-
तहित केंद्रेशन के कार्य व्यापार के संबंध में नियमावली
स्थापिता।

पा उपनिषदों में तंश्चोप्त करना ।

१८। उपानिषद् में लक्षण यह है कि उनके अधीनस्थ की जाँच टिप्पणियों पर तथा निदेशक अधिकार की रिपोर्ट पर विवार करना ।

१८। फेडरेशन द्वारा गृहीत संघों हेतु प्रगतिशील उपायाखाली पर्याप्त हैं जो उनकी पर्याप्त विविधता एवं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं।

अन्य सहायताओं की प्रकृति एवं तीसरा विवर इसलिये
उपनिषदों में संशोधन पर किती सदत्या के निष्काशन
विषय सामान्य निष्काशन की दैत्य के अध्ययन की अनुसृति ते
आए कोई विवार ॥

तामाल्पर्यनिकाय की बोलों की कार्यतृतीय की दुनों दिता, अपितरे त्रिवेध त्यान एवं तमय का उल्लेख हो, निकाय जैता कि नियम 2 की प्रथम स्थान के अधीन किया गया है, रुम ते रुम 15 दिन पूर्व की प्रथम स्थान के अधीन किया गया है, रुम ते रुम 15 दिन पूर्व

प्रतिलिपि निष्ठन्धक को यदि उत्तरे द्वारा सेता अपेक्षा की गयी

प्रातिलिपि नवीन के प्रतिवर्द्धता यह है कि कम तेरुम 45 रिट्रॉन की जीवित बैठक के लिये आवश्यक होगी। जिसमें घटा धिकारियों का चुनाव होता है।

नोटिट जारी होने की तिथि को फेडरेशन के नोटिट पटिका पर कार्यक्रम तूंही कारक प्रति लगाया जायेगा। आगे प्रतिबन्ध में नोटिट के तात्पुर

यहाँ भी द्वितीय पार्श्विक तामान्य ऐक के मामले में नोटिस के साथ
पार्श्विक तामान्य ऐक का उपयोग किया जाए सुना गया।

कार्यकलाप रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि ग्राफिट प्रमाण-पत्र प्रदित्त उपलब्ध हो। और तुमन पत्र लगाई जायेगी। इस प्रकार की नोटिस किसी तदत्य को न प्राप्त होने पर सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही छो गवैध नहीं घोषित करेगा।

(123)

1. का। सामान्य निकाय के तदत्य को जो सामान्य बैठक में काई प्रस्ताव रखना चाहता तो, इसकी लिखित विवरण 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेश को देना चाहेगा।

2. ब। निम्नांकित सामलों में पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

11। ऐजेन्डा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव।

12। बैठक के स्थान अथवा निरस्तीकरण का प्रस्ताव।

13। ऐजेन्डा के अगले बिन्दु कार्यवाही करवाने का प्रस्ताव।

14। बैठक की तमाध रिपोर्ट प्रस्तुत करने अथवा मामले की जाँच हेतु समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव।

क। पैक्ष 15। किसी प्रश्न को वैटर के निये खोलने का प्रस्ताव।

उपलब्ध 16। अत्याधिक छोड़ने के कारण बैठक द्वारा सामान्य निकाय को किसी तन्दनभित्ति मामले को हस्तगत करने का प्रस्ताव की बैठक की।

कार्यक्रम 17। उपस्थिति तदत्यों के 2/3 के बहुमत से रखा गया प्रस्ताव।

(123) 124।

3. क। स्थानप्रेषण तदत्य का एक मत दोगांतों किन्तु प्रतिनिधि को सत पुदेनों की रखना जत लहीं दी सायेगी लिखित विवरण 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेश

को सामान्य निकाय की बैठक का तंबालन अध्यध करेगा। पर्दि अध्यध को सामान्य निकाय की बैठक का तंबालन अध्यध करेगा।

4. क। अनुपस्थित छोड़तो उपस्थिति में को अपने अधीक्ष पक्षीति तदत्यों को बैठक

तंबालन करने के लिए बुन सकते हैं वरने बाकी अधीक्ष अध्यध अध्यध को बैठक

प्रद्वितीय निरापिक मत देगां उपस्थिति अध्यध अध्यध को बैठक उत बैठक

जहाँसे ले सकेगां लिखित उन सामलों भरातिकार प्रविसर्ग होना हो

प्रजितमें उतके निहित छोर्ता करने अध्यध मामले की जाँच करना।

5. क। सामान्य बैठक के लिए प्रनिर्धारित आधे घन्टे में पर्दि को रुम नहीं

6. क। किसी भी बैठक होता है, तो बैठक के फिरामार्पिक सामान्य बैठक हो तो

7. क। अत्यस्ति किये जाने की प्रतिधिता। जो किंवदिन उसी तमाध और

सामान्य बैठक का तंबालन अध्यध करेगा। अद्यता अध्यध

गुप्त 17। को बैठक में अपने अधीक्ष पक्षीति तदत्य को बैठक

तंबालन करने के लिए भी सकते हैं। बराकरी के मामलों में अध्यध

125।

8. क। अत्याधिक छोड़ने के 2/3 के बहुमत से रखा गया प्रस्ताव।

9. क। किसी भी बैठक को हस्तगत करने का प्रस्ताव।

10. क। किसी भी बैठक को होना, किन्तु प्रतिनिधि को अत देने का

छोड़ना जो दो लाभ है।

11. क। अत्याधिक छोड़ने का तंबालन अध्यध करेगा। अद्यता अध्यध

गुप्त 17। को बैठक में अपने अधीक्ष पक्षीति तदत्य को बैठक

११४।

- १. स्थान के लिए स्थगित कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पटिवैद्युत रामगान्धी निकाय के गदस्यों को मौंग पर खुलाह्ड़ गह्ब हो तो कोरम के अभावमें निधारित समय के एक पन्ते के लिए रोक दी जायेगी।
- २। उपचारण्य ॥ ॥ के अन्तर्गत ग्राचारित न होने वाले मामले में स्थगित बैठक ऐसी तिथि पा समय में ग्रायोजित होगी जैसा कि बोर्ड निधारित करें। उस मीटिंग के लिए एजेन्डा में अधिसूचित करें।
- ३। जो मामला सिवाय मौंखिक बैठक के अवृद्धि छोड़े गए मामलों में स्थगित बैठक में नहीं उठाये जायें।

27. सामान्य बैठक में विचार दिये गये तथा निर्णाति सभी सामलों और कार्यवाही की पुस्तिका में अभिलिखा किया जाएगा, और कार्यपूत्रियों पर बैठक का संचालक एवं फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक हस्ताक्षर करेगा।

28. ३॥ एवं समिति में निम्नाकिंति १५ निदेशक होंगे।

१। सामान्य निकाप द्वारा पुने गए सदस्य - ७
 २। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य - ७
 ३। राष्ट्रीय व्यापारानी बोर्ड स्वतंत्रता निधि - ७
 ४। वित्तीय रास्थान का प्रतिनिधि - ७
 ५। प्रबन्ध निदेशक पाठ्यक्रम को ग्राहक टिप्पणी फेरेश, लिंग - १-
 ६। एक प्रतिनिधि गविना तथा निर्बल वर्ग का इन्द्र चाण्डी
 प्रधाम मनोनीत प्रबन्ध तमिति - हनुष प्रधान प्रधाम के लिए बात के रहते हुए भी
 फेरेश का प्रधाम प्रबन्ध तमिति प्रधाम पाँच वर्षों के लिए एवं सज-सक वर्ष की
 वार्षिक संमापावधि के प्रांतिकान सहित अधिकार आठ वर्ष के लिए राज्यसरकार
 व निबन्धक द्वारा मनोनीत किया जायेगा। सरकार/निबन्धक को यह अधिकार
 होगा कि वह नामित प्रबन्ध तमिति की संख्या गण्यते निपारित करे। इस
 नामित प्रारिष्ट की अवधि संमाप्त होने पर २८ अ. के अनुसार प्रबन्ध तमिति
 का गठन निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

१४। नामिता प्रधन्य समिति के सदस्यों में हुये किसी भी ग्रामकर्त्ता को राज्य सरकार निबन्ध की सहायता से भर सकती है। पृथ्वीकर्त्ता निबन्ध का चुनाव करेगी, जिसका कारणिता तीन वर्ष पर प्रधन्य समिति द्वारा गर्व सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसका कारणिता तीन वर्ष का होगा। राज्य सरकार के नामिता गदर्य सचिव जिसके प्रभार में उद्यान विभाग होगा।

१. सामान के छुते प्रगर सदस्यों का कार्पकाल छुतास परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। अंधेकालीन कार्पकाल प्रबन्ध समिति के कार्पकाल तक होगा।

20. नियम-435. अध्यां गतिविधि की पारा-35 की उपपारा-3 के उपवाक्य-ग्रंथ के अन्तर्गत स्थापित प्रबन्धसमिति के सदस्य के रूप में किसी द्वयिता द्वारा किये गये कार्यों की गतिविधि को उपवाक्य-ग्रंथ का प्रयोजन से नहीं गणना की जाएगी।

३. समिति की कार्यवाली इस ग्रामपाल पर अवैध नहीं होगी कि परिषद्

प्राचीन विद्यालयों में एक ऐसा विद्यालय है जिसका नाम विद्यालय अमृतसर है।

में कोई व्यक्तिता है जिसे पुरा नहीं किया गया है।

१७। नामित निदेश गण नामित करने वाले अधिकारी के प्रतादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

१३०। कोई भी व्यक्ति तंथ की प्रबन्ध कमेटी में तदस्य के स्थान में निवाचित तथा आमंत्रित किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि-

१। उत्तरकी आयु २१ वर्ष से कम है।

२। वह बागल, गृणा, बहरा, कोढ़ी, अपाहिज, अन्धा न हो।

३। उत्तरे दिवालिया घोषित किया गया हो।

४। उत्तरे किसी अपराध के निष्ठित पाया गया हो और ऐसे अपराध को अपी में निरस्त न किया गया हो, प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की अपाव्रता जुमानिया अदा करने अथवा तजा काटने के ५ वर्ष के उपरान्त अमा हो जायेगी।

१। वह अधिकारी निबन्धक की राय में उत्तरे प्रतिवार का कोई तदस्य निबन्धक की अनुमति के बगेर फेडरेशन के कार्यक्रमों में उत्तरे प्रबल का व्यवहाय चला रहा हो, जिसके फेडरेशन चला रहा हो।

२। वह फेडरेशन के कार्यक्रम अथवा किसी सदस्य तमिति ते लाभ अर्जित करता है।

३। वह फेडरेशन के उपनियासों अथवा अधिकारी अधिकारी के प्राविधानों के विळद्ध लेने के देन अथवा तंचिदा करता हो।

४। वह फेडरेशन के तामान्य निकाय का तदस्य न हो प्रतिबन्ध यह है कि वह रोका तमिति को नामित तदस्यों पर लागू नहीं होगी।

५। कायदि वह अधिकारी अधिकारी नियम के अन्तर्गत किसी अपराध में लिप्त रहा हो तो जब तक कि अपराध होने की तिथि से ३ वर्ष से ज्यादा ज्यादा।

६। वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विळद्ध धारा-७। के अन्तर्गत किसी तहकारी ता-

मिति द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है और तंतुति तमिति है।

७। वह लिखा गये ग्रन के तम्बन्य में फेडरेशन का दोषी है और वह दोष कम से कम छठ: माह की अवधि से निरत्तर भरकरारह रहा है और यदि दोष कम से

कम रिष्टाद्वारा नियमित त्युनतमा स्वस्त्राय तो किया हो।

८। वह पहले तेही वैराज्य की किसी ग्रीष्म तंस्था की तीन तमितियों के छबन्य परिषद का तदस्य हो।

९। वह फेडरेशन के द्वारा नियमित नामित कराया जाना चाहिए करता है।

१०। वह अवधि द्वारा नामित होने पर उत्तरे होनी चाहिए।

११। वह अवधि द्वारा नामित या नामित कराया जाना चाहिए अपराध में लिप्त रहा हो कि तक कि अपराध की अवधि छुट्टा हो तो उत्तरे होनी चाहिए।

१२। वह अपराध का देश छुट्टा हो तो उत्तरे होनी चाहिए।

१३। वह धोखाधड़ी करने के कारण निकाल दिया गया हो, यह सा सरकार तेवा सां लहकारी तेवा या निगम के निकाय में पेईमानी का आवरण किया हो, और बखास्तगी का आदेश अपील में बारिज न किया गया हो पाउंस बहिष्कृत कर दिया गया हो प्रतिबन्ध यह है कि यह आमता बखास्तगी आदेश की तिथि से ५ वर्ष के उपरान्त मान्य नहीं होगी।

१४। वह निबन्ध के आवेदन में ग्रामिल हो अथवा ऐसी लहकारी तमिर के प्रबन्ध तमिति का तदस्य था, जिसे निबन्धक द्वारा धारा-४२ की अध्यारा २१ के अधिनियम ३॥ के अन्तर्गत इस आधार पर की बूजीकरण घोषे ते फ्राया गया है, भंग कर दिया गया हो, और निबन्धक के ऐसा आदेश को अपील में उलट न गया हो।

१५। उसने त्यागपत्र दे दिया जो और परिषद द्वारा उते स्वीकार कर लिया गया हो।

१६। तह ग्रन्थ प्रकाश के अधिनियम भी इसी उप-विधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत अवर्द्ध हो गया हो।

१७। व्यवताय एवं तमामिति। इन दोनों बाबों के बारेमें यह बताया जाएगा कि उपरिधियों में उल्लिखित है।

१८। वह जंग या प्रतिक्राप संशोधा करने में अतफल रहा हो-पैसा कि तमिति खद द्वारा आह्वान किया गया हो।

१९। भैरव तंस जितका छि पह प्रतिनिधि है, जो आँड़िक के दौरान वर्ग की यातीयां दीर्घ में रखा गया हो। निवालक द्वारा याचिकारण के लिए।

२०। सुदि फेडरेशन के किती कम्हारी का प्रतिस्तेदार होता है एवं यह याचिकारण के लिए।

२१। यदि वह तंस का प्रतिनिधि न रह जाय जितका छि यह प्रतिनिधित्व करता है तो वह उलट न गया हो।

२२। प्रबन्ध समिति की बैठक उत्तरी सार हो रहती है जितनी छि व्यवताय लेन-देन के लिए आवश्यक हो, किन्तु माह में एक बार ज़्याय बैठक होगी बैठक शुलाने के लिए प्रबन्ध अधिदेश। १० दिन शुर्व तूकना भेजेगा ताकि वह परिषद के कार्यतान्वालन के लिए कोरमा २० तदस्यों का होगा जित में ते कम, ते कम ३ तदस्य शुर्व हुस्तु प्रतिनिधि होंगे।

२३। समिति की बैठक का आयोजन प्रबन्ध अधिदेश द्वारा, अध्यध के लिए किया जाएगा ताकि वह उत्तराधिकार हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

२४। बैठक के लिए कमिति की बैठक के लिए आवश्यक हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

२५। बैठक के लिए कमिति की बैठक के लिए आवश्यक हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

२६। बैठक के लिए कमिति की बैठक के लिए आवश्यक हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

२७। बैठक के लिए कमिति की बैठक के लिए आवश्यक हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

२८। बैठक के लिए कमिति की बैठक के लिए आवश्यक हो जो कि वह बैठक के लिए आवश्यक हो।

कहने पर या कम ते कम पाँच मिनेश्वरों की लिखित छप्पा पर या नियन्त्रक के आदेश पर किया जायेगा।

कोई भी तदस्य उत चर्चा में भाग नहीं लेगा। जितमें उतका कोई व्यक्तिगत मामला निहित हो।

उत्कालिक महत्व के मामलों, जिनका कि परिषद की बैठक तक इन्हें जारी किया जा तकता, तभी तदस्यों में परिषद वितरित कर चर्चा करायी जा सकती है और इत प्रकार अनुमोदित प्रस्ताव पर तभी तदस्यों का हस्ताधर होगा, इतका वही प्रभाव होगा और उती प्रकार बन्धन कारी होगा, जैसा कि प्रस्ताव परिषद की बैठक में पात किया गया हो। और इसे बैठक के कार्य सूत में शामिल किया जायेगा। तभी गंगली बैठक में पढ़ा जायेगा।

32. तमिति द्वारा किये गये तमस्त कार्य या किसी व्यक्ति द्वारा परिषद के तदस्य के रूप में किये गये कार्य, ऐसा होते हुए भी पदि बाद में पता चले कि ऐसी परिषद के गवन या व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दुष्टि हो गयी थी, वैसे होगा माने। परिषद तदस्य को नियन्त्रण नियुक्ति किया गया हो।

फेडरेशन की नीतियों की नियारण की गवित प्रबन्ध व्यक्ति में निहित होगी। प्रबन्ध व्यक्ति है। प्रकार की तमस्त गवितपर्यन्त तमस्तमाल करेगा, और ऐसे समस्त इकरारनामें करेगा, ऐसे तमस्त प्रबन्ध करेगा, ऐसी तमस्त कार्यवाहियों करेगा ऐसे तमस्त कार्य करेगा, जैसा कि फेडरेशन को तमचित प्रबन्ध और उत्तरों की प्राप्ति में सहायक हो, जिसके लिये फेडरेशन स्थापित किया गया है, और अधिनियम के प्राविधिकारों अधिकार ऐसे अधिनियम जो बाद में बनाए जायें उनकी उपविधियों के अनुपालन के अन्तर्गत फेडरेशन के हितों की स्था के लिये तथा उत्तरों बदावा देने को आवश्यक हो। इस उपविधियों द्वारा प्रदत्त गवितपर्यन्त के पर्माणुर के निना निमाँकित गवितपर्यन्त तथा अधिकार दिये जाते हैं।

1 का फिली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

2 ये तदस्यों को प्रेषण देना।

3 ग्रावंटन, आहरण, निवृत्त, उक्तान गौर अंग हस्तात्तरण के आवेदन पर्यन्त का नियन्त्रण।

4 ग्रण या ग्रण पत्र लेना और जमा स्वीकार करने की गतों का नियारण करना।

- १३। वार्षिक प्रतिवेदन, तुलनपत्र। बैलेन्स शीट। तथा अन्य विवरण पत्र जिसे निबन्ध द्वारा निर्धारित किया गया हो, वार्षिक बैठक के समय प्रस्तुत करना।
- १४। वार्षिक तामान्य छैठक हेतु वार्षिक बजट की तस्तुति करना।
- १५। अधिनियम और नियम और उपविधियों के प्राविधानों और लेवा भत्तों जो कि विधि 35 के अन्तर्गत नहीं है, के अन्तर्गत फेडरेशन की स्टाफ तंत्रिका नियारिण। निबन्ध के आदेशानुतार विशेषज्ञ ऐन। राज्य तरकार। द्वारा बनाये गये केन्द्रीयता, केंद्र प्राधिकरण के अलावा स्टाफ की भत्ती के लिए 'समिति' तस्तुत करना।
- १६। फेडरेशन द्वारा धारित राज्य तम्हात्ति को पूष्ठांकित करना, खेवना या हस्तांतरण करना।
- १७। फेडरेशन से तम्हान्धि अवल तम्हात्ति को खेवना।
- १८। उपविधियों के अधीन व्यवसाय तंदिता तथा विनियार्थों का निर्माण।
- १९। फेडरेशन के कर्मचारियों के लिए यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्तों के लिए नियमनाला। प्रतिवेदन, तुलनपत्र। बैलेन्स शीट। अन्य विवरण पत्र जिसे निबन्ध
- २०। फेडरेशन के उपर्योगार्थ भूमि, भवन, मालानि हस्तपादि के क्रूप की स्थिरता या कार्रवाई के लिए विधि दिया जाए। याकूब के लिए विधि प्रस्तुत करना।
- २१। कृष्णदेव किसामे पर लेने की दैवीकृति देना।
- २२। बहाँ तक हस्त व्यवसाय का तुलनात्मक हस्तान्य है, फेडरेशन के तदत्यों के बीच से विषयन नियमिका का वितरण करना।
- २३। उपविधियों के अन्तर्गत अंत शुल्क बढ़ाना।
- २४। अधिनियमों, नियमों और उपविधियों के अधीन लाभान्य की अदायगी तथा लाभ के नियतात्त्व का प्रस्तावना कार्यिक तामान्य बैठक के लिए तैयार करना।
- २५। लम्पन्तम्प तराजमानदाति वर्षा लाज शुल्क दस का नियारिण।
- २६। फेडरेशन की अंतर्विधिक जाँच तम्रेष्ण तथा जाँच रिपोर्ट पर आधारक कार्यक्रम।
- २७। खसोडी बैरनाका अंत जालन देवनी की देखता।
- २८। फेडरेशन की अंतिविधियों को ध्याता से रखो। हुस्तिदस्य। लंघों की नियमण्यता करना।
- २९। फेडरेशन के अंतिविधियों को ध्याता से रखो। हेतु परामर्शदाता जाय भत्तों के लिए नियमण्यता।
- ३०। अतामान्यता: फेडरेशन की नीतियों तथा व्यवसाय की देखभाल करना।
- ३१। फेडरेशन के उपर्योगार्थ भूमि, भवन, मालानि हस्तपादि के क्रूप की स्थिरता या कार्रवाई पर लेने की दैवीकृति देना।
- ३२। बहाँ तक हस्त व्यवसाय का अन्तर्विधिक तदत्यों के बीच से विषयन नियमिका का वितरण करना।
- ३३। उपविधियों के अन्तर्गत अंत शुल्क बढ़ाना।
- ३४। अधिनियमों, नियमों और उपविधियों के अधीन लाभान्य की अदायगी तथा लाभ के नियतात्त्व का प्रस्तावना का प्रस्तावना। वार्षिक बैठक के निए तैयार करना।
- ३५। लम्पन्तम्प पर अंतर्विधिक वर्षा लाज का दृश्य का नियारिण।

- १३। प्रबन्ध समितिजन प्राप्तियों के अधीन जिसे वह लाना चाहें तमय-तमय पर प्रबन्ध निदेशक की किसी गवितयों तथा कर्तव्यों को पदि प्रबन्ध निदेशक चाहता हो, केडरेशन के किसी गन्य प्राप्तिकारी को प्रतिनिधानित को जा तकती है लेकिन उपवाक्यांश संख्या के से व तक ट ते ट तक तथा घ छत्ता-न्तरणीय नहीं है। परिषद के लिए निर्धारित कार्यों के नितारण हेतु कोई उप समिति नहीं होगी।

१४। अन्य कार्य जो अधिनियम, नियम और उपनियमों तर्थं उपरिख्यों के अधीन उसे संभाले जायें।

१५। फेडरेशन की ओर राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाओं से, साथ अन्य गैर सहकारी राष्ट्रीय या राजस्तरीय संस्थाओं से सामग्री खरीदना।

१६। फेडरेशन के विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुद्दान देतु आवेदन करना।

१७। फेडरेशन के कर्मचारियों तथा आक्षितों के कल्याण हेतु कोष और न्यास की स्थापना करना।

१८। अधिनियम, नियम तथा उपरिख्यों के अनुसार तामान्य तिकाय को किसी संदर्भ की बखास्तगी की संस्तुति करना।

१९। उत्पाद के निर्माण विषय, उपार्जन से सम्बन्धित तेवा भारत तथा अन्य ग्रामों की दर का निर्धारण।

२०। उत्पाद के तथा अन्य सहकारी संस्थाओं उत्पादों के दर निर्धारण नीति तय करना।

२१। संघ की घल अघल सम्पति की उक्तान से सुरक्षा करना।

२२। ट्रेंमार्क के उपयोग हेतु व्यय दर का अनुमोदन।

१३५। विभिन्न पैनल:-

 - १। विभिन्न पैनल में निम्नांकित सदस्य होंगे:- इनमें से सामग्री खरीदना, फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक नियम, अधिकारी आवश्यक अनुद्दान, नियन्यक का प्रतिनिधि - सदस्य।
 - २। फेडरेशन का तामान्य प्रबन्धक प्रशासक। - सदस्य तत्विव कोष और न्यास।
 - ३। फेडरेशन का तामान्य प्रबन्धक। - सदस्य तत्विव कोष और न्यास।
 - ४। इसपैनल की संस्तुति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और पैनल उन सदर्दों पर भर्ती के लिए उत्तरदायक होगा जो कि केन्द्रीय कैडर प्राप्तिकरण। अधिनियम की धारा-१२२-अ। के अन्तर्गत जाते हों।

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

19. विद्युत विनाशक का उपयोग अवृत्ति के लिए

- 34- ।।।।। अ। पेडरेशन की बैठक । तामान्य निकाय तथा निदेशक परिषद् । का संवालन
गट्यक करेगा और उसकी गतिविधि में उपस्थित निदेशक गण बैठक के
संवालन हेतु किसी को गट्यक छुन सकते हैं ।

।।।।। ब। बैठक में चाहे वह तामान्य निकाय, निदेशक परिषद की या अन्य कोई
बैठक हो, प्रत्येक उपस्थित लदस्थ को एक गत होगा । सभी मामले प्राप्ति
गणितमें गत्यथा व्यवस्था न हो तो बहुमत से निर्णीत होंगे । मत
की बराबरी की दशा में गट्यक का स्थिरायक गत होगा । तिवाय
चुनाव तथा नियुक्ति के ऐसे मामले मतोंके बराबर होने पर लाठी ते
निर्णित होंगे कोई भी व्यक्ति का गट्यक उस बैठक का संवालन नहीं
करेगा जिसमें उन मामलों पर चर्चा होनी हो जिसमें उसका हित निहित
हो ।

प्रमन्ध निदेशकः-

35. 111 प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति जैसा अधिनियम में उल्लिखित है राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। वह प्रबन्ध समिति का पद्देन सदस्य होगा।

121 प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन का मुख्य कार्यालय अधिकारी होगा और अधिनियम और उपचारियों के अधीन उसके निम्नांकित अधिकार होंगे।

131 प्रभासन पर सामान्य नियंत्रण रखना और फेडरेशन के आचरण प्रवृत्तिशाली व्यवरोध प्रबन्ध और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

14। निदेशक परिषद तथा सामान्य निकाय की सेंचुर का संयोजन।

15। फेडरेशन की वास्तिक एरिपोर्ट का आलेख तैयार करना।

16। परिषद द्वारा सामान्य निकाय के निदेशों, सीमांगों तथा अजट के अन्तर्गत स्वीकृति देना। कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन मुद्रार पर व्यक्ति अन्य व्यय संघ की ओर से प्रतिनिधि बोर्ड और सरकारी एवं अन्य सिक्योरिस्ट्रीज का पृष्ठांकन तथा हस्तांतरण एवं धेर का पृष्ठांकन और हस्तांतरण धेर के साथ फेडरेशन का लेख तंचालन।

30. 17। फेडरेशन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों जो अपना वेतन फेडरेशन से नेते हैं, के अधिकारी कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निर्मित करना।

18। फेडरेशन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों जो अपना फेडरेशन से वेतन नेते हैं, का स्थानान्तरण धारियों के लिए उनके विलासिक बैंडोफार्म एवं अन्य अधिकारियों के गलावाह वेतन भोगी कम्बियारियों जो उत्तिष्ठित, निलंबित, बुखारित, पदद्रुत सा दृष्टिकृत रूपना और इन्हें रेती हुरधा महान करना जबकी की आवश्यक हो।

19। फेडरेशन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की बैंडोफार्म का नियोजन।

20। फेडरेशन के कर्मचारियों की जारीकै लौपाल छाती।

21। फेडरेशन के कर्मचारियों की नियोजन लीगान्ड अमर वर्षट के लिए लिए दूरी की जारी की जाकर विवरित करना।

22। फेडरेशन के कर्मचारियों की इमारतों वाली अमर वर्षट के लिए लिए दूरी की जारी की जाकर इसीमार्ग नींद और और वर्षट, वर्ष वर्षट लिए जाना।

- 141 13। भजराणि और तिक्ष्णोरिठी को प्राप्त करना आवश्यक करना वितरण करना एवं निकेस करना साध ही फेडरेशन की ओर से जमा प्राप्त कर हस्ताक्षर करना ।
- 14। तंथ के व्यापारिक भंडार का कम से कम ३ माह में एक बार तत्त्वाप करना ।
- 15। 13। जैता अधिनियम, नियम या विनियमों द्वारा अथवा परिषद निर्धारित होने, ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों को सम्पादित करना ।
- 14। फेडरेशन के नियंत्रण में कार्यरत किसी अधिकारी^{की} अपनी शक्तियों, अधिकारों और विवेकाधिकार को प्रतिनिष्पत्ति करना ।
- 16। प्राविधानों के अन्तर्गत श्रेणी तीन। ३। के पद तीन माह के बिना सूचित करना, नियुक्ति अधिकारी की भर्ती करना । निर्धारित वयन तमिति के माध्यम से ।
- 17। किसी मुकदमे की शुल्कात करना, बचाव करना या छोड़ना जो कि फेडरेशन के द्वारा आ परिमाप में हो अथवा फेडरेशन के किसी भी मामले से तम्बनिष्ट हो और अक्षिती दावे से सन्तुष्ट होने पर अदायगी हेतु समय देना वाले फेडरेशन के द्वारा हो अथवा उसके विरुद्ध यां मामला प्रबंधनत के तुप्रूद करना आदि ।
- 18। विनियमों के अधीन, यदि कोई हो, जो कि परिषद द्वारा निर्माण में के पक्ष स०५ लाख तक मूल्य की तंविदा की द्विकृति और विवार-विमर्श करना और उसके $2\frac{1}{2}$ लाख एवं ऐसे समत्त कार्य फेडरेशन के नियमों से करना या फेडरेशन की ओर लेने करना । १३। अपनी अधिकारी^{की} अधिकारों के अन्तर्गत तमिति के नियमों के अधीन, यदि कोई हो, फेडरेशन के तदत्य तंथ के कार्य परिष्कार करना और उन्हें तथा उनकी तदत्य तमितियों का । १४। तुप्रूद में निर्धारित मामलों के नियंत्रण देना ।
- 19। विनियमों के अधीन, यदि कोई हो, फेडरेशन के द्वारा आ परिषद द्वारा निर्माण के द्वारा आ विनियम में की कार्य फेडरेशन के किसी मामले से अदायगी हो जाए तो किसी दावे के तुलना में वह अदायगी हेतु समय देना वाले फेडरेशन के द्वारा हो अथवा उसके विरुद्ध यां मामला प्रबंधनत के तुप्रूद करना आदि ।
- 20। विनियमों के अधीन, यदि कोई हो, फेडरेशन के द्वारा आ परिषद द्वारा निर्माण के पक्ष स०५ लाख तक मूल्य की तंविदा की द्विकृति और विवार-विमर्श करना और उसके $2\frac{1}{2}$ लाख एवं ऐसे समत्त कार्य फेडरेशन के नियमों से करना या फेडरेशन की ओर लेने करना । १३। अपनी अधिकारी^{की} अधिकारों के अन्तर्गत तमिति के नियमों के अधीन, यदि कोई हो, फेडरेशन के द्वारा आ विनियम में की कार्य फेडरेशन के किसी मामले से अदायगी हो जाए तो किसी दावे के तुलना में वह अदायगी हेतु समय देना वाले फेडरेशन के द्वारा हो अथवा उसके विरुद्ध यां मामला प्रबंधनत के तुप्रूद करना आदि ।

कार्यक्रम समिति:- 136 :-

- 131 निम्नांकित सदस्यों की सक कार्यक्रम की समिति होनी:-
132 संघ का प्रबन्ध निदेशक ग्रन्थ
133 मुख्य महाप्रबन्धक तदस्य
134 सम्बद्ध संघों के समस्त प्रबन्धक तथा महाप्रबन्धक
141 फैडरेशन के मुख्यालय पर गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य देखने वाला अधिकारी
151 महाप्रबन्धक, प्रबन्ध सेवा प्रभाग। मु०।
161 बार्यक्रम समिति निम्नांकित कार्य देखेगी:-
111 समय बद्द उपलब्धि सर्व विषय सीतियाँ
121 प्रबन्ध के समस्त पहलों पर सदस्यसंगठनों को परामर्श देना तथा सहायता करना।
131 आगामी वर्ष हेतु उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना और तमय-समय पर समझ करना।
141 उपायिति/नियमित होने वाले सामानों का न्यूनतम स्तर और फैडरेशन के माध्यम से विषय सीति।
उत्पादन, उपचार और पैग्यिंग व्यय की दर नियारित करना, उंगादान सर्व स्थापारिक ट्रेड मार्क की रोपनदी की दर नियारित करना।
कचे माल तथा उत्पादित सामान की कीमत लियारित करना।
विषय सीति।
गोपालिक उत्पाद फ्ल, तब्दी इत्पादि के गतिरिक्त जचे माल तथा प्रक्रियात्मक पदार्थों को तुलभ करना।
सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय खोजना तथा उन्हें नागृ करना।
गोधे सर्व विकास के उपाया सदस्यसंगठनों को बढ़ाने के उपाय खोजना विषय सीति दृष्टि से उत्पादन योजना तैयार करना।
सदस्यों को वित्तीय, तकनीकी, प्रौद्योगिक एवं अन्य अवश्यक सहायता देना तथा संयुक्त ऐके के एकार नामों की संस्थानी करना।
मूल्य नियारित, नीति, लोका संस्थान और तत्त्वज्ञानी सामग्री पाठ सलाह देना।
विषय सीति।
विषय सीति।
विषय सीति।
विषय सीति।
विषय सीति।

कार्यक्रम समिति यदि आवश्यक समझे तो किसी प्रिवेट तमस्या पर रिपोर्ट के हेतु उप समिति बना लकड़ी है और आवश्यकतानुसार फेडरेशन के सदस्यों में से विशेषज्ञों को चुन लकड़ी है।

प्रारूप पत्र और रजिस्टर:- 139। फेडरेशन तमस्या-समय पर निबन्धक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर तिथि अंकित करेगी। फेडरेशन के व्यवसायिक लेनदेन को अभिलिखित करने हेतु निम्नांकित लेखा पुस्तिकार्ये तथा रजिस्टर होंगे।

13। कार्यवाही पुस्तिका या पुस्तिकार्ये-समान्य निकाय, निदेशक परिषद तथा अन्य समितियों या उपसमितियों की बैठक की रूपरूपी हैं। 13। आवेदन पत्र रजिस्टर फेडरेशन की तदस्यता हेतु जिसमें आवेदक का नाम पता, आवेदित रेपरों की तांत्रिक इन्कार की दशा में निर्णय दूषित करने की तिथि।

13। सदस्यों का रजिस्टर जिसमें उनका नाम, पता, प्रवेश तिथि लिये गये रेपरों की संख्या अदा की गई घनराशि, तदस्यता समाप्ति के कारण तथा तिथि होंगी।

13। प्रतिनिधियों का रजिस्टर:-

13। रसीद पुस्तिका

13। फेडरेशन में प्रत्येक तदस्य का बही खाता।

13। रोबड बही जिसमें दैनिक प्रगति तथा व्यय स्वं प्रतिदिन का बकाया दर्ज किया जायेगा।

13। बाउचर काइल जिसमें फेडरेशन द्वारा व्यय के क्रमस्त बाऊचर दरबंद जायेगा।

13। एक सामान्य बही खाता जिसमें दैनिक प्रगति प्राप्ति व्यय तथा बकाया बरीच बार अंकित किया जायेगा।

13। लाभांश तथा बोनस रजिस्टर।

13। अधिकारियों स्वं कर्तव्यारियों व नियुक्ति प्रतिनिधियों का रजिस्टर।

13। ऐसे ही अन्य रजिस्टर और पुस्तिकार्ये जिन्हें परिषट का प्रबन्ध निर्देशक पता निबन्धक तथा उपसमय से त्रिपारित करें।

13। नाम का विवरण:-

39 13। वार्षिक गुरु लाभ में फेडरेशन द्वारा:-

13। वार्षिक गुरु लाभ में फेडरेशन में अधिकारियों का विवरण।

13। वार्षिक गुरु लाभ में फेडरेशन के विवरण।

- 111 शून्यातम् 25/- रजव कन्दा लुराधित कोष। के रूप में रखा जायेगा ।
- 121 तटकारी गिधा विधि में नियमों के अन्तर्गत रखा जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि जब तटकारी गिधा कोष की राशि ८०-२५००/- से किती वर्ष बढ़ जाय तो फेडरेशन स्वैच्छा ते वाहे तो बढ़ी हुई राशि को लगायें पान न लगायें क्योंकि यह २५००/- से ज्यादा है ।
- 131 गोष धनराशि का वितरण निम्नवा होगा :-
- 141 तदत्थ्यों को उनके द्वारा लिये गये अंगों पर लाभों का भुगतान जो कि २२ से अधिक नहीं होगा ।
- 151 तदत्थ्यों को फेडरेशन के ताय किये गये व्यवसाय के अनुपात में बोनस, अधिक लीमा तक यदि अधिनियम उपविधि द्वारा निर्धारित हो ।
- 161 जैसा कि तामान्य निकाय द्वारा निर्धारित किया जाय, फेडरेशन द्वारा बेड डेटल कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, बिल्डिंग कोष, प्रगति कोष तद्वित फंड, अंग हस्तांतरण कोष, दर बदलाव फंड इत्यादि में योगदान करना पा कोष की स्थापना करना ।
- 171 कम्हियारियों को लोनत भुगतान इत्यादि ।
- 181 गोष धनराशि को गुणले वर्ष के लाभ में ले जाना ।
- 39:- कोष का उपयोग लाभ अधिनियम सुन नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा ।
- 40:- १. फेडरेशन के संविधित होने की दृश्यामें फेडरेशन ते तम्बन्धत तंत्रधित एवं गन्य कोषों का उपयोग अदा की जायी लाभ और लाभ के भुगतान करने के बजाय पहले फेडरेशन की देन दारियों निस्तारण की जायेगी जो कि सिप्प तो २७। की उपनियम से है। में निर्धारित प्रायमिकताएँ उत्तरार होगा उत्तरके बाद सदि किसी अवधिके लिये लाभांश छुपाया गया है तो लाभांश का भुगतान रेते अवधि के लिए २१ ते अनाधिक लीय दर से किया जायेगा ।
- 121 उक्त लाभांश । १। में उल्लिखित भुगतानों के अलावा कोई अवयोग रह जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा लाभांश निक उपयोग के उद्देश्यों में नियोजित किया जायेगा जैसा भी निदेशक परिषद द्वारा बुना जाय और निवन्धक द्वारा अनुमोदित किया जाय । यदि निदेशक निवन्धक द्वारा निर्धारित समय के भीतर परिषद सेवा लक्ष्यका बुनाय नहीं कर पाती जो कि निवन्धक द्वारा अनुमोदित की गयी होती निवन्धक उत्तराधिकता कोष को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा तटकारी गिधा कोष में लगा तक्ता है ।

विवादः-

41:- फेडरेशन के व्यवसाय ते सम्बन्धित विभिन्न पार्टियों के बीच के समत्ता वि-
वाद अधिनियम फी पारा 70 के अनुसार पंचायत द्वारा तुलशाये जायेंगे।

विवाह वर्ष :- फेडरेशन

42:- अ- की उपविधियों में समस्त तंगोपन तामान्य बैठक में उपस्थित तदस्थियों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किये गये प्रस्ताव में किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि आदर्श उपविधियों का तंगोपन जो निबन्धन द्वारा पहले भी अनुमोदित किया गया हो, अथवा निबन्धन द्वारा भारा-14 के III के अन्तर्गत किया माना है तो उसे केवल साधारण बहुमत से लागू किया जा सकता है।

१ ब। उपर्युक्त में संशोधन का विवार-विमर्श करने के लिए सामान्य बैठक हेतु 30 दिन की नोटिस और साथ में प्रस्तावित संशोधन की प्रति सभी सदस्यों को दी जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि जब धारा 1411 के अन्तर्गत विवाह निबंधन से आदेश प्राप्त हुआ हो तो बैठक के लिए 15 दिन की नोटिस पर्याप्त होगी जारी प्रतिबंध यह भी है कि यह निबंधन की उत्तमता ते व्वन् उपर्युक्त सभी के वाक्यांश त के द्वारा प्राप्तिपापत्त के अन्तर्गत कोषम धारा संशोधन दिया गया हो तो एक सप्ताह की नोटिस पर्याप्त होगी।

इसके बाबत क्या होगा ? इस समाजपर्यावरणिकाय के सदस्यों के 50% जनकीक धर्मसम्पर्क के कोडम की आवश्यकता होगी । प्रतिबन्ध यह है कि सदिय मीटिंग पर्यावरण परिषद, गोरखनाथ, नहीं पुरा होता है तो यह निकटपक्ष लेडरेसिट को नवनिर्देश देता है, जिस पर्व द्वारा उनके बाबत परिषद को अधिकार सक्ति दी जाएगी, और इस तथा की रुचना तमस्तक सदस्यों को अनिवार्य रूप में किसी दीवाजासेगी जोगे प्रतिबन्ध यह भी है कि आदर्श उपचायियों को नागर करने के उपराजनकारी ग्रामपाल को पहले छोड़ा जनुमत दिता करना दिया हो गया, निकटपक्ष द्वारा पारित किया गया है। तो यह अन्तर्गत संघ द्वारा नागर की लिखाई हो तो यह निकटपक्ष की जनुमति से अपकायकरोग, को धर्मसम्पर्क के अन्वयिता जाता है। सास्त्रविकात संघ द्वारा कोरम के साथ होने वाली बैठक सांघर्षप्रयत्न में ही होती है जैसे ऐसी बैठक जो ऐसेजिवाधी की कोटि द्वारा उपलब्ध उपियांवस्त्रायेगा। आवश्यकता के द्वारे प्राविधिक के अवधारिकोरा धर्मसम्पर्क के अन्वयिता की राम धर्म दिया जायेगा तो एक सभामें को नोटिस दिया जायेगा ।

१४३ ऐसी बिल्कुल के लिए उपचार्य विद्युत के सदस्यों के ५०% से आधे सदस्यों के पास उन को जीवन में लौटा। इस विषयक बहु है कि यदि मीटिंग में पारिशिक फोरम नहीं था तो निष्कामक फैडरेगन को निर्णय देने के लिए यह दृष्टिकोण अपेक्षित था कि उपचार्य विद्युत को घटाकर एक विद्युत का दिया जायेगा, जो जल वाताना तपात तदस्यों को विहित लगा मरी जायेगी और उपचार्य विद्युत निष्कामक के अन्य भूमि के मामले में असभ्य रूप से अपरिविहित हो जायेगा। इस निष्कामक के महले ही ग्रन्तियों दिया कर दिया हो अथवा उपचार्य विद्युत के निष्कामक के महले ही ग्रन्तियों दिया कर

१८। उपर्युक्तमें किया गया संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक अधिनियम और प्राविधानों के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा इसे नियमित रूप से पंजीकृत न कर दिया जाय ।

घनाधः-

43:- तहकारी समितियों में चुनाव ते सम्बन्धित नियमों के अनुतार केडरेशन चुनाव करायेगा ।

मिथितः—

44:- असमिक्ष सदस्यों की समितियाँ और संघ के बावजूद कार्यालयों के अधीन अधिनियम और नियमों, प्राविधिकानों के अधीन कार्यालयी करेंगे

रीय सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय सहकारी समिति का सदस्य है कि सेवा सदस्यता फेडरेशन के द्वारा में दो

तक्ता है। प्रतिष्ठन यह है कि सर्वां सदस्यता कठिन करती है और अधिनियम तथा नियमों के प्रतिपानों से उतकी मुष्टि भी हाती

आंर अधानयम तवा निकला ॥ ३ ॥

46 :- 13। नियम - 65 में कथित एक या अधिक कागजातों की प्रमाणित प्रतिय

उसी तरीके से गौर शुल्क के भुगतान पर अनिवार्य की जा सकती है जहाँ विद्यमान वाचिकाधिपतियों के सम्पत्-समय पर कड़ा गया

गणितीय अध्ययन नियम अध्ययन उपचारिध्या के समय-त्रनय पर करते हैं। इन विषयों का कोई सदृश्य जपने गणितीय प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय

१४। फेडरेशन का काइ सदस्य जिनमें से एक अधिकारी ग्राम पंचायत के अधिकारी होता है।

देकर ₹०५/८ शुल्क तक का मुगान कर लेखा की जाँच तथा संघ के अधिकारी द्वारा देखा जाएगा।

लेखों की जाँच कर सकता है, केवल तभी जब के सदत्यागार फड़शन के लिए अस्तित्व हो। यहां पर्याप्त समाजीकारी सदृशीता का सदृश हो।

५७ :- केडरेन के पात स्क्रू घुट होगी। जिसमें केडरेन का नाम और बिन्द प

47 :- फ़रखान के पाते रक्षण द्वारा अनुमोदित किया जाय ।
कोई हो अंकित होगा जैसा कि परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाय ।

यह मोहर प्रबन्ध निदेशक के अधिकार में होगी और पारिषद के बहुत से उसके उपयोग किया जायेगा। प्रकेत्तन परिषद के प्राप्ति

कार के अन्तर्गत किसी कागज या उपकरण पर जहाँ इसकी आवश्यकता

जिसका विवरण इस परिषद के दो सदस्यों गौड़ा प्रबन्ध निदेशक अधिकार प्रबन्ध निदेशक हो।

ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

विद्युत विभाग की अधिकारी ने इसका उल्लंघन करने वालों को दंडना पड़ा।

प्रतिक्रिया की विवरणों के साथ एक अन्य विवरण की विवरण तथा लेख के 313
पृष्ठे पर दिया गया है।

त्रिवेदी शब्दों का समकालीन अर्थ विभिन्न विभिन्न विधियों के अनुसार बदलता है।

कृत्यानि विद्यन्ते विद्यन्ते विद्यन्ते विद्यन्ते विद्यन्ते

स्थान पर पत्तिद द्वारा नियुक्त किये व्यक्ति की उपचारिका है लगायी जा
48- इन उपचारिकाओं को व्याख्या के तिर केंद्रों मामले वाले निष्पत्ति का
मन्दान्तर करेगा जिनका निर्गम अन्तिम तथा बान्धवारों है।

प्रिविध:- 48- इन उपादानों को प्राप्ति के लिए केंद्रीय मामले वा निष्ठन्दं का सन्दर्भ में करेगा जितना जिर्या उन्निम तथा बान्धकारों हैं।